

कार्यालय जिलाधिकारी गाजीपुर।

पत्रांक 30 /13-आपदा/ -राहत सामग्री /2019-20
आदेश

दिनांक 19 जून,2019

जिलाधिकारी महोदय ने अपने आदेश दिनांक 16-06-2019 द्वारा वर्ष 2019 में सम्भावित बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित किये जाने हेतु खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति हेतु ई-टेण्डर खोलने वाली समिति की आख्या दिनांक 10-06-2019 के आधार पर जे0पी0एसोसिएट 100/ए,केशवनगर शाहजहांपुर(उ0प्र0) की प्रति पैकेट की दर 1400-50 रुपये जिसका रैंक एल-1 है, को दिये जाने की सहमति/अनुमोदन प्रदान की गयी है।

अतःजे0पी0एसोसिएट 100/ए,केशवनगर , शाहजहांपुर(उ0प्र0)प्रोपराईटर श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता 100/ए केशवनगर, शाहजहांपुर को आदेश दिया जाता है कि पत्रांक 4184/13-आपदा/राहत सामग्री/2019-20 दिनांक 30 मई,2019 को निकाली गई ई-अल्पकालीन निविदा के नियम व शर्तों के अनुसार वर्ष 2019 में बाढ़ आने की स्थिति में आपूर्ति आदेश निर्गत होने के दिनांक से 24 घण्टे के अन्दर खाद्यान्न की आपूर्ति करना होगा । इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगा।

प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा
गाजीपुर।

पत्रांक 30 /13-आपदा/ -राहत सामग्री /2019-20

दिनांक 19 जून,2019

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव एवं राहत आयुक्त,उ0प्र0शासन राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ।

2- जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर।

3- प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा गाजीपुर।

4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि आदेश को जनपद गाजीपुर की बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

5- समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद गाजीपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6- जे0पी0एसोसिएट 100/ए,केशवनगर,शाहजहांपुर प्रोपराईटर श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता 100/ए केशवनगर, शाहजहांपुर।

19.06.19

प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा
गाजीपुर।